संख्या-178/2015/1575जेएल/22-3-15-200(3)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2015***

विषय- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध महिला बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति कें सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16960/प्रोबेशन-2/2015/गृह अवकाश, दिनांक 15-05-2015 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध 16(सोलह) सिद्धदोष महिला बंदियों (सूची संलग्न) को दिए गये दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त महिला बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात उन्हें 15(पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु **गृह अवकाश पर मुक्त किया जाय।** महिला बंदी को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

I. कारागार में आचरण अच्छा रहा हो और उनके द्वारा जेल नियमों का उल्लघंन न किया गया हो।
II. न्यूनतम तीन वर्ष की अपरिहार सजा उसके द्वारा नारी बंदी निकेतन में भोगी गयी हो।
III. महिला बंदियों को उनके माता, पिता, पति, वयस्क पुत्री अथवा निकट सम्बन्धियों के संरक्षण में ही कारागार से मुक्त किया जायेगा।
IV. महिला बंदियों के निकट सम्बन्धियों की पहचान जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किये जाने पर उन्हीं के माध्यम से कारागार से मुक्त किया जायेगा।
V. उनकी मजदूरी के खाते में इतनी धनराशि हो, जिससे नारी बंदी निकेतन से अपने गृह स्थान जाने व वापस आने के यात्रा व्यय के लिए पर्याप्त हो तथा न्यूनतम रू0-10/- उनके खाते में शेष रहे।
VI. मजदूरी खाता में वांछित धनराशि न होने की दशा में महिला बंदी को गृह स्थान जाने व वापस आने का वास्तविक यात्रा व्यय हेतु अनुमोदन शासन से प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो महिला बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिए जाय।

3- उपरोक्त महिला बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया इस आदेश की प्राप्ति तुरन्त स्वीकार करें तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-178/2015/1575जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूची सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:178/2015/1575जेएल/22-3-15-200(3)/2015, दिनांक: 18 जून, 2015 की संलग्नक सूची

क्र0स0	महिला बंदी/पिता अथवा पति का नाम	जनपद का नाम	महिला बंदी संख्या
1	मुन्नी देवी पत्नी श्री महेश चन्द्र द्विवेदी	कानपुर देहात	364
2	कुन्ना देवी पत्नी श्री बच्चाराम	बलरामपुर	412
3	बिब्बी पत्नी मो0 हुसैन	कानपुर नगर	459
4	रजन्ना पुत्री श्री जफ्फू	हरदोई	1183
5	सुन्दारा पुत्री श्री जफ्फू	हरदोई	1182
6	रामकली पत्नी श्री रघुबीर	हरदोई	781
7	नाहिद बानो पत्नी मो0 जमील	लखनऊ	948
8	शकीला बानो पत्नी श्री सिराज खॉ	गाजीपुर	1213
9	गरीबी पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद	इलाहाबाद(कौशाम्बी)	1211
10	कमला देवी पत्नी श्री रामेश्वर सिंह	रायबरेली	1283
11	सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर	पीलीभीत	1384
12	अमृती देवी पत्नी श्री रामस्वरूप	पीलीभीत	1385
13	माया देवी पत्नी श्री नारायन लाल	पीलीभीत	1387
14	फूलमती पत्नी श्री रामभजन	सीतापुर	1296
15	राजकुमारी पत्नी स्व0 रामचन्दर	लखनऊ	1802
16	नन्हका देवी पत्नी श्री रामकिशोर दुबे	अम्बेडकरनगर	917

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in